

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)  
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 8/2018(2018/00022) वाद पत्र

अनवान

1. हरिसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. रामलाल गोदपुत्र नाथू तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. हेमा पिता किशना तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. महेश दाधीच
2. जाकिर हुसैन

अधिवक्ता वादी  
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 13.06.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प गलवा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम टोकरा की आराजी सख्या 355 रकबा 0.34 है० में वादी का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का संयुक्त 5/6 हिस्सा मौके पर कब्जे अनुसार एवं हिस्से अनुसार विभाजन हेतु वादी एवं प्रतिवादीगण सहमत है। वादी के पास 1/6 हिस्से से ज्यादा जमीन होगी तो वादी प्रतिवादीगण को कब्जा सौंप देंगे व प्रतिवादीगण के पास 5/6 हिस्से से ज्यादा जमीन होगी तो प्रतिवादीगण वादी को कब्जा सौंप देंगे। इस हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 13.06.2018 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबंदी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


आदेश

ग्राम टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता सख्या 153 वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है-

क्र.	कृषको का नाम	खसरा न०	क्षेत्रफल (है०)	किस्म
01	हरिसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत सा० देह खातेदार	355/2	0.0566	नहरी
		<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.0566</b>
02	रामलाल गोदपुत्र नाथु 2/5 हेमा पिता किशना 3/5 तेली सा० देह खातेदार	355/1	0.2834	
		<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.2834</b>

अंतिम डिक्री अनुसार भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 13.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

  
राजलक्ष्मी गहलोत  
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और )  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर जिला भीलवाडा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)  
पीठासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

अनवान

1. हरिसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1. रामलाल गोदपुत्र नाथू तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज0)
2. हेमा पिता किशना तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:- 8/2018(2018/00022) वाद पत्र

निर्णय दिनांक:- 13.06.2018

वाद में आज तारीख 13.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 की राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गलवा के समक्ष अंतिम निपटारो के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

ग्राम टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरुन हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 153 वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है-

क्र. कृषको का नाम

01 हरिसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत सा0 देह  
खातेदार

खसरा न0	क्षेत्रफल (है0)	किस्म
355/2	0.0566	नहरी

02 रामलाल गोदपुत्र नाथु 2/5 हेमा पिता किशना  
3/5 तेली सा0 देह खातेदार

योग	1	0.0566
	355/1	0.2834
योग	1	0.2834

अंतिम डिक्री आज तारीख 13.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)  
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर